वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2018-2019
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2018-2019

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर
### विवरणिका

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>विवरण</th>
<th>पृष्ठ संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>परिचय</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>विभाग की स्थापना एवं गठन</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>वर्ष 2018–19 की उपलब्धियाँ</td>
<td>3–4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अभाव स्थिति</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>मानसून की स्थिति</td>
<td>5–6</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>सीलावृट की स्थिति</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>पशु संरक्षण गतिविधियाँ</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>अतिवृद्ध/बाढ़ की स्थिति</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>अतिन पीड़ितों को सहायता</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>राजस्थान राहत कोष</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### परिशिष्ट

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>विवरण</th>
<th>पृष्ठ संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>प्रशासनिक ढांचा</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>विभाग में कार्यकारी अधिकारियों की सूची</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>स्वीकृत एवं रिलेक्शन पदों की स्थिति</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>राज्य कार्यकारिणी समिति</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियाँ एवं व्यय की स्थिति</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>अकाल राहत गतिविधियों के अत्यधिक विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>अन्य राहत गतिविधियों के अत्यधिक विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>आपदा वार नोडल विभागों की सूची</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>अभाव की स्थिति</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>वर्ष की स्थिति</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू-भाग का 10.4 प्रतिशत है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उल्लंघन-परिप्रेक्ष्य में रेतीपाल भाग में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड़ पशु प्रजाति हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों की किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहता है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1559-60, 1733-74, 1753-76, 1767-77, 1990-91 व 1994-95 को छोटकर अन्य वर्षों में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबीश लगातार विद्यमान रहती है।

वर्ष 2015-16 के समकालिक अनुसार प्रदेश में सकल बोध गये 250.14 लाख हेक्टेयर भूमि में से 105.62 लाख हेक्टेयर ही सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 77.55 लाख हेक्टेयर (97.69 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकुओं तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकुओं से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकुए पूर्व जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पृथक्क वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।
सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यलय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्थान विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कालम हुआ। वर्ष 1963-64 एवं वर्ष 1964-65 में राज्य में भंडारक सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकंप दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा संकट प्रारंभक व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रारंभक व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसार संकट सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है, जो शासन सचिव एवं आयुक्त, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है। राज्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के नृत्यावसाय आपदाओं के प्रबंधन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/स्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के सावधान, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव एवं राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाओं के रूप में उपयोग के उपाय, आपदाओं के निपटने के उपाय एवं इस समस्या सभी अधिकार एवं व्यवस्था तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्जीवन कार्य प्रभावशाली तैयारी के साथ संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट-1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-2, विभाग में स्थीर रहने की सूची परिशिष्ट-3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर से तकलीफ स्तर सहायता गतिविधियाँ का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदेशानुसार जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।
वर्ष 2018–2019 (माह दिसम्बर, 2018 तक) की उपलब्धियाँ

1. राज्य कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष 2018–19 (माह दिसम्बर, 2018 तक) में मुख्य सचिव महेद्वर की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2018 को आयोजित की गई, उक्त बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का संक्षेप विवरण निम्नानुसार हैं:-

• एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को 90 दिवस या आवश्यकतानुसार ट्रेजरी ऑफिसर बिलों में वित्त मार्गोपथ विभाग के माध्यम से विनियंत किये जाने के संचालित में निर्णय लिया गया कि एसडीआरएफ में अतिरिक्त उपलब्ध राशि 600 करोड़ रुपये वित्त मार्गोपथ विभाग के माध्यम से ट्रेजरी ऑफिसर बिलों में विनियंत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाओ।

• राज्य कार्यकारी समिति द्वारा खाद्य भवन, शासन सचिवालय के कमरा नंबर 7310 में दी.सी. सम्बन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इसके लिये आवश्यक संपर्क के लिये एसडीआरएफ के विभाग के विभागीय अधिकारी नंबर 400.0 लाख रुपये वाले स्थायी सहायता प्रदान की गई है।

2. राज्य में आकाशीय विज्ञान, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा नफान बहने से गुरकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति शेषकाल सहायता प्रदान की गयी है।

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार 23 की अनुपसा भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

4. अनुच्छेद 31 की अनुपसा में अधिकांश जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार की जा चुकी हैं, जिनको समय–समय पर अधितन किया जा रहा है।

5. आपदाओं के प्रबंधन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के संबंध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर की जा रही है।

6. भारत सरकार को आपदा प्रबंधन की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी गई है।

7. सन 2074 में राज्य के 13 जिलों यथा बाड़मेर, भीलवाडा, बीनांे, चुमूं, बुंगापुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंडुङ्ग, जोधपुर, नागौर एवं संभाल माधोपुर के 5092 गाँवों को खाद्य फसल के लिए आभावग्रस्त घोषित कर प्रभावित कार्यकर्ताओं को कृपया आदान अनुमति सहायता उपलब्ध कराई है एवं प्रभावित जिलों में राहत गतिविधियों का संचालन कर राहत प्रदान की गई है।
8. सम्बत 2074 में राज्य के 2 जिलों यथा श्रीगंगानगर एवं सीकर के 25 गांवों को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

9. सम्बत 2075 में श्रीगंगानगर जिले के 22 गांवों को ओलावृष्टि से प्रभावित होने के कारण खरीफ फसल 2018 (सम्बत 2075) के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

10. सम्बत 2075 में राज्य के 9 जिलों यथा बादमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं पाली के 5555 गांवों को सूखे के कारण खराब होने पर खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

11. अधिसूचना क्रमांक 6282–340 दिनांक 17.04.2018 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 2005 का 53) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपलना में राज्य सरकार द्वारा तेज अंधेरी/अंधेरा तूफान, जिससे वृहत स्तर पर जान व माल की हानि हो, को राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

12. विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के क्रम में एक वेब आधारित कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजकौम्य के माध्यम से तैयार करवायी गई। जिसके माध्यम से जिलों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु मदद ऑनलाइन डिमांड की जाती है जिसकी विभाग संबंधित कर ऑनलाइन बजट आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, आवंटन–व्यय पर नियन्त्रण, एसी–डीसी बिलों की प्रगति आदि की सूचना भी इसी वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।
अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12930-49 दिनांक 16.11.2017, 6198-242 दिनांक 17.04.2018 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 11396-420 दिनांक 30.07.2018 द्वारा सम्पन्न 2074 में राज्य के 13 जिलों यथा बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं सवाई माधोपुर के 5092 गांवों को खरीफ फसल सम्पन्न 2074 के लिए अभावप्रस्त घोषित किया गया।

2. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8107-30 दिनांक 14.05.2018 द्वारा सम्पन्न 2074 में राज्य के 2 जिलों यथा श्रीगंगानगर एवं सीकर के 25 गांवों को रबी फसल के लिए अभावप्रस्त घोषित किया गया।

3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18721-40 दिनांक 13.11.2018 द्वारा सम्पन्न 2075 में श्रीगंगानगर जिले के 22 गांवों को ओलावृष्टि से प्रभावित होने के कारण खरीफ फसल 2018 (सम्पन्न 2075) के लिए अभावप्रस्त घोषित किया गया।

4. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18874-94 दिनांक 19.11.2018 द्वारा सम्पन्न 2075 में राज्य के 9 जिलों यथा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं पाली के 5555 गांवों को सूखे के कारण खराब होने पर खरीफ फसल के लिए अभावप्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2018

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 27.06.2018 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2018 से 30 सितंबर 2018 तक की सामान्य वर्ष 530.08 मिमी. के विरुद्ध 532.77 मिमी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 0.50 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून सत्र में 1 जून, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>नाम जिले</th>
<th>संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)</td>
<td>बाराबंकी, भरतपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सीकर</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत तथा (-) 19 प्रतिशत तक)</td>
<td>अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जूनूनी, चिल्लौड़ा, चूरू, दोहरा, धीलपुर, गंगानगर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करोली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोक, उदयपुर</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>कम वर्षा (सामान्य से (−) 20 प्रतिशत तथा (−) 59 प्रतिशत)</td>
<td>बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>स्थानीय वर्षा (सामान्य से (−) 60 प्रतिशत एवं इससे कम)</td>
<td>जालौर, सिरोही</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
मानसून अवधि दिनांक 30.9.2018 तक राज्य के पूर्व, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11920.81 Mcum की तुलना में 7517.8 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 63.06 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 98.65 Mcum की तुलना में 302.43 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 30.81 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व बड़े बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 60.61 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2018 को भरा हुआ था।

मानसून सत्र 2018 में राज्य में हुई वर्षा तथा गत 2 वर्षों से इसकी तुलना का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-12 पर उपलब्ध है।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि से प्रभावित मृदुकों, घायलों, फसल खराबे से प्रभावित कार्यकर्ताओं को कृषि आदान अनुदान सहायता एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदंडों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य में वर्ष 2018 (सम्बत 2074 रवी) में राज्य के 2 जिले यथा श्रीगंगानगर एवं सीकर में ओलावृष्टि से 25 गाँव प्रभावित हुए है। राज्य में खरीफ फसल 2018 (सम्बत 2075) में एक जिला श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 22 गाँव प्रभावित हुए है। प्रभावित कार्यकर्ताओं को वृषिव आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पशु संरक्षण गतिविधियाँ —

सम्बत 2074 में अभावमय जिलों में अवस्थित 556 घोषित पशुशिविहारों के बंद एवं छोटे कुल 1.83 लाख पशुओं हेतु राहत सहायता की स्वीकृति की गई।

अतिवृष्टि/बाढ़

राज्य में हुई अतिवृष्टि वर्षा से उपलब्ध बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, ढूंढने तथा मकान ढहने से मृत्यु जिन्होंने को एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।

2. मानसून वर्ष 2018 में राज्य में ढूंढने/ढूंढने के कारण 07 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 10 व्यक्तियों कुल 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स अनुसार सहायता प्रदान की गई है।
अभिन पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश है कि अभिन दुर्घटना से होने वाली जन-धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाये। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (माह दिसंबर, 2018 तक) में कमाण्ड: 741.53 लाख एवं 414.00 लाख रुपये की राशि अभिन पीडित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

राजस्थान राहत कोष

एस.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबंधन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में छूट का प्रावधान दिनांक 31.3.2022 तक किया गया है।

दिनांक 06.07.2010 को राजस्थान राहत कोष की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राजस्थान राहत कोष की आय नामांकन की रह जाने के कारण इस कोष में प्रतिवर्ष 25.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान करवाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव बजट निर्णायक समिति में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्रावधानों (B.E.) में 25.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में रूपये 1.81 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रूपये 25.36 लाख राशि जिलों को बचाव/राहत कार्यों हेतु उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2013-14 के लिये अंकेडक्षण पर 7,416/- रूपये तथा वर्ष 2014-15 के लिये अंकेडक्षण पर 7,524/- रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2015-16 के लिये अंकेडक्षण पर 7500/- रूपये व्यय किया गया।

वर्तमान में इस कोष में बचाव कार्यों हेतु रूपये 5.93 करोड़ की धन राशि उपलब्ध है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्राप्तवर्धन एवं व्यय

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अंशदान के रूप में वर्ष 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान वर्षवार केंद्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः –

(राशि करोड़ रूपये)

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्ष</th>
<th>भारत सरकार का अंशदान</th>
<th>राज्य सरकार का अंशदान</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2011-12</td>
<td>473.02</td>
<td>157.67</td>
<td>630.69</td>
</tr>
<tr>
<td>2012-13</td>
<td>496.67</td>
<td>165.55</td>
<td>662.22</td>
</tr>
<tr>
<td>2013-14</td>
<td>521.50</td>
<td>173.83</td>
<td>695.33</td>
</tr>
<tr>
<td>2014-15</td>
<td>547.58</td>
<td>182.52</td>
<td>730.10</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-16</td>
<td>827.25</td>
<td>275.75</td>
<td>1103.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2016-17</td>
<td>868.50</td>
<td>289.50</td>
<td>1158.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2017-18</td>
<td>912.00</td>
<td>304.00</td>
<td>1216.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018-19</td>
<td>957.75</td>
<td>319.25</td>
<td>1277.00</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>5604.27</td>
<td>1868.07</td>
<td>7472.34</td>
</tr>
</tbody>
</table>

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मूल बजट प्राप्तवर्धन मद 2245-01 सूखा व 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिये 1277.00 करोड़ रूपये स्पीकृत है।

वर्ष 2013-14 से 2018-2019 के अन्तर्गत आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट 7 पर एवं वर्ष 2015-16 से 2018-19 (माह दिसंबर, 2018 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अंक 7 राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न नदियों में ध्वस की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9 पर उपलब्ध है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क.सं.</th>
<th>पद नाम</th>
<th>नाम अधिकारी</th>
<th>दिनांक से विभाग में कार्यरत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>शासन सचिव</td>
<td>श्री आशुतोष ए.टी. पेड़णेकर</td>
<td>19.12.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>शासन विशिष्ट सचिव</td>
<td>रिक्त</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>शासन उप सचिव</td>
<td>डॉ. अनिल पालीवाल</td>
<td>30.09.2015</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>वित्तीय सलाहकार</td>
<td>श्री लखपत मीणा</td>
<td>21.12.2017</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>सहायक शासन सचिव</td>
<td>श्री रामबिलाड़ी मीणा</td>
<td>20.06.2016</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>विशेषाधिकारी (2)</td>
<td>श्री बिजेन्द्र सिंह</td>
<td>30.03.2011</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>श्री देशराज मीणा</td>
<td>28.04.2015</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>वरिष्ठ लेखाधिकारी</td>
<td>श्री राम सिंह कल्याण</td>
<td>05.02.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>लेखाधिकारी</td>
<td>श्री मनोज कुमार गरवा</td>
<td>07.12.2016</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सांस्थिकी अधिकारी</td>
<td>श्री कुंजविहारी खण्डेलवाल</td>
<td>18.03.2016</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>अतिरिक्त निजी सचिव (2)</td>
<td>श्री दिनेश कुमार सारोलिया</td>
<td>16.09.2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>रिक्त</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)</td>
<td>श्री शंकरलाल मीणा</td>
<td>15.12.2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>श्री लक्ष्मीनारायण लाभड़िया</td>
<td>01.04.2016</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>प्रोग्रामर</td>
<td>श्री शिवेन्द्र वार्ष्य</td>
<td>03.08.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी</td>
<td>श्री रविशंकर हाड़ा</td>
<td>26.03.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र.स.</td>
<td>पद नाम</td>
<td>स्थीकृत पदों की संख्या</td>
<td>रिक्त पदों की संख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>शासन सचिव</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>विशिष्ट शासन सचिव</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>शासन उप सचिव</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>वित्तीय सलाहकार</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>शासन सहायक सचिव</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>विशेषाधिकारी</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>वरिष्ठ लेखाधिकारी</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>निजी सचिव</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>लेखाधिकारी</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>सार्थकता अधिकारी</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>अति. निजी. सचिव</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>प्रौद्योगिकी कार्य</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>अति. प्रशासनिक अधिकारी</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>सहायक लेखाधिकारी द्वितीय</td>
<td>32</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>सहायक सार्थकता अधिकारी</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>सहायक प्रशासनिक अधिकारी</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>कृषि लेखाधिकारी</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>शैक्षिक अधिकारी</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>विष्णु सहायक</td>
<td>21</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>सामाजिक सहायक</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>कृषि सहायक</td>
<td>30</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>महान सचिव</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>जनवरी</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>चौथे श्रेणी कर्मचारी</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. मुख्यमंत्री, राजस्थान

2. प्रमुख मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

3. प्रमुख मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार

4. प्रमुख मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

5. प्रमुख मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार

6. प्रमुख मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार

7. प्रमुख मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार

8. प्रमुख मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार

9. प्रमुख मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जाए, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित कर सकेगा।

2. जब कभी वांछनीय समझा जाए, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।

3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

4. राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रभुत्व शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदार्पण कर सकेगा।
राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>भागावधी</th>
<th>नियमावधी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>मुख्य सचिव</td>
<td>अध्यक्ष</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग</td>
<td>सदस्य या सचिव</td>
</tr>
</tbody>
</table>

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्त्य के निर्वाह में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकती है।
प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगे:—

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयोग कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरंत निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।
## POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(A) SDRF</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opening Balance</td>
<td>1141.99</td>
<td>999.22</td>
<td>288.02</td>
<td>209.40</td>
<td>326.05</td>
<td>83.27</td>
</tr>
<tr>
<td>Central Share</td>
<td>521.50</td>
<td>547.58</td>
<td>827.25</td>
<td>868.50</td>
<td>912.00</td>
<td>957.75</td>
</tr>
<tr>
<td>State Share</td>
<td>173.83</td>
<td>182.52</td>
<td>275.75</td>
<td>289.50</td>
<td>304.00</td>
<td>319.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Receipt from Interest</td>
<td>75.02</td>
<td>59.67</td>
<td>-</td>
<td>22.17</td>
<td>50.08</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Received from GOI</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1378.13</td>
<td>990.82</td>
<td>301.65</td>
<td>1277.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Funds transferd by State Govt. in SDRF</td>
<td>0.53</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Funds Available under SDRF</td>
<td>1912.87</td>
<td>1788.99</td>
<td>2769.15</td>
<td>2380.39</td>
<td>1893.78</td>
<td>2192.53</td>
</tr>
<tr>
<td>Expenditure</td>
<td>913.65</td>
<td>1570.57</td>
<td>2559.75</td>
<td>2054.34</td>
<td>1810.51</td>
<td>891.28*</td>
</tr>
<tr>
<td>Closing Balance</td>
<td>999.22</td>
<td>218.42</td>
<td>209.40</td>
<td>326.05</td>
<td>83.27</td>
<td>1301.25</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(B) NDRF</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opening Balance</td>
<td>69.60</td>
<td>69.60</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Receipts</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Fund Available under NCCF</td>
<td>69.60</td>
<td>69.60</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Allotment Made</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Closing Balance</td>
<td>69.60</td>
<td>69.60</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Funds available Under SDRF &amp; NDRF(A+B)</td>
<td>1,068.82</td>
<td>268.02</td>
<td>209.40</td>
<td>326.08</td>
<td>83.27</td>
<td>1301.25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Amount of Allotment
वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में अकाल सहायता गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>अनुग्रह सहायता</td>
<td>-21.17</td>
<td>3.50</td>
<td>-0.71</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>पीने के पानी की आपूर्ति</td>
<td>958.40</td>
<td>2081.53</td>
<td>73.20</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>धारा परिवहन</td>
<td>478.04</td>
<td>-</td>
<td>0.92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>पशु पोषण केन्द्र</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>पशु शिविर/गौशाला</td>
<td>20864.64</td>
<td>12807.40</td>
<td>13183.55</td>
<td>3218.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>पशु चिकित्सा</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>दवाओं की पूर्ति</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>अन्य विशेष सहायता कार्य</td>
<td>-</td>
<td>-0.74</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>अन्य सहायता</td>
<td>635.88</td>
<td>765.33</td>
<td>741.53</td>
<td>414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सर्ह एवं रेस्तरूण एवं प्रशिक्षण</td>
<td>64.50</td>
<td>244.90</td>
<td>365.65</td>
<td>262.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>कृषि आदान अनुदान</td>
<td>7128.17</td>
<td>175506.33</td>
<td>114419.72</td>
<td>67331.00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>अन्य सहायता</td>
<td>1.48</td>
<td>16.40</td>
<td>349.36</td>
<td>20.00</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>30109.94</td>
<td>191424.65</td>
<td>129133.22</td>
<td>71765.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

बिन्दु मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रूपये में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. स.</th>
<th>गतिविधियाँ</th>
<th>वर्ष</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>आनुग्रहित राशि</td>
<td>190.76</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>पीने के पानी की आपूर्ति</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>पशु चिकित्सा</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>सड़कों की मरम्मत</td>
<td>4053.96</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>बिजली पुनर्निर्माण</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सर्च, रेसकू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय</td>
<td>261.76</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>प्रशिक्षण</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण</td>
<td>1586.10</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>शोकार्थ परिवारों को सहायता</td>
<td>336.54</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>घरों की मरम्मत</td>
<td>3031.63</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>ओलावृह्दि से प्रभावितों को कुर्षि आदान अनुदान</td>
<td>214979.73</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>बाढ़ से प्रभावितों को कुर्षि आदान अनुदान</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>डिसिस्टिंग</td>
<td>522.33</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>पशु धन क्रय के लिए किसानों को सहायता</td>
<td>310.72</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>खराब सिंचाई तथा बाढ निपटन सवर्णिणि कार्य</td>
<td>591.91</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>अन्य सहायता (हेलिकॉप्टर)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>अन्य सहायता</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>225865.44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

17
### List of Nodal Departments

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Name of Nodal Department</th>
<th>Related Disaster</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Disaster Management &amp; Relief</td>
<td>Droughts, Hailstorms, Heat Wave, Frost and Cold wave, Thunder &amp; Lightning, Cyclones</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Energy</td>
<td>Disaster involving power generation/ distribution/ transmission</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Home</td>
<td>Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law &amp; Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological &amp; Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Water Resources</td>
<td>Floods, Flash Floods, Dam Bursts &amp; Cloudbursts</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>PWD</td>
<td>Earthquake, Major Building Collapse, Landslides</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Mines &amp; Petroleum</td>
<td>Mine Fire and Mine Flooding, Oil Spill</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Industries</td>
<td>Chemical &amp; Industrial Disasters</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>UDH</td>
<td>Urban Fires</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Revenue</td>
<td>Village Fire and Boat Capsizing</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Forests</td>
<td>Forest-Fire</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Medical &amp; Health</td>
<td>Biological and Epidemic, Food Poisoning</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Agriculture</td>
<td>Pest Attack</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## परिशिष्ट-11

### EXTENT OF SCARCITY (Kharif - Drought)
#### SAMVAT 2075

| क. सं. | जिला    | जिले के कुल गांवों की संख्या | जिले के कुल प्रमाणित गांवों की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराब) | प्रभावित जन संख्या (लाखों में) | कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | बोधी गई फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्रभावित प्रांगण की संख्या | 33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम | 50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम | 75 से 100 प्रतिशत तक | खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में) | खराब राजस्व की मात्रा रूपये में | स्थगन योग्य पूरा राजस्व की मात्रा रूपये में | कुल पूरा संयंत्र (लाखों में) | प्रभावित पर्यावरण संयंत्र (लाखों में) |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | बाड़मेर   | 2775                            | 2741                            | 24.85                          | 2375632                         | 1518190                        | 1261513                        | 47                              | 503                             | 2191                            | 253197.54                       | 647661                          | 617748                          | 53.67                           | 47.40                           |
| 2     | हनुमानगढ़ | 1917                            | 171                            | 3.14                           | 903854                          | 785554                         | 223515                         | 2                              | 160                             | 9                               | 55680.00                        | 0                               | 0                               | 13.31                           | 1.43                            |
| 3     | जैसलमेर   | 849                            | 806                            | 6.41                           | 2838119                         | 707904                         | 551509                         | 20                             | 136                             | 650                            | 20994.17                        | 499467                          | 340945                          | 31.95                           | 10.4                            |
| 4     | जालोर      | 814                            | 680                            | 15.18                          | 859433                          | 561334                         | 397741                         | 85                             | 83                              | 512                            | 12773.84                        | 0                               | 0                               | 16.31                           | 6.96                            |
| 5     | जोधपुर     | 1881                           | 554                            | 6.28                           | 1918408                         | 1306456                        | 312059                         | 71                             | 402                             | 81                             | 83337.50                        | 0                               | 0                               | 35.90                           | 4.90                            |
| 6     | पाली       | 1058                           | 80                             | 3.19                           | 831056                          | 551579                         | 34143                         | 77                             | 3                               | 0                               | 1106.00                         | 0                               | 0                               | 23.02                           | 0.51                            |
| 7     | बीकानेर     | 958                            | 189                            | 4.49                           | 2592757                         | 1478287                        | 297376                         | 56                             | 104                             | 29                             | 37006.00                        | 0                               | 0                               | 27.73                           | 7.62                            |
| 8     | भुवन         | 917                            | 163                            | 4.27                           | 1267774                        | 1106680                       | 231851                         | 59                             | 74                              | 30                             | 33503.25                        | 0                               | 0                               | 18.50                           | 4.56                            |
| 9     | नागौर      | 1645                           | 171                            | 4.69                           | 1516396                        | 1220813                       | 186851                         | .34                            | 137                             | 0                              | 21029.85                        | 526263                         | 526263                          | 31.50                           | 2.81                            |
| योग   | 12814        | 5555                           | 72.5                           | 15103429                       | 9236797                       | 3496558                       | 451                            | 1602                          | 3502                           | 632688.15                       | 1673391                       | 1484956                         | 251.89                          | 86.59                           |
## Districtwise Average Rainfall
1st June to 30th September (2016 – 2018)

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>District</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Normal Rainfall</td>
<td>Actual</td>
<td>% Deviation</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ajmer</td>
<td>429.60</td>
<td>534.80</td>
<td>24.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Bhilwara</td>
<td>580.90</td>
<td>817.31</td>
<td>40.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Nagaur</td>
<td>348.50</td>
<td>436.54</td>
<td>25.3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tonk</td>
<td>566.00</td>
<td>736.38</td>
<td>28.3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bharatpur</td>
<td>557.60</td>
<td>645.35</td>
<td>15.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Dholpur</td>
<td>650.00</td>
<td>656.17</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kankari</td>
<td>637.40</td>
<td>758.67</td>
<td>19.0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>S.Madhopur</td>
<td>664.00</td>
<td>909.38</td>
<td>37.0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bikaner</td>
<td>228.70</td>
<td>268.38</td>
<td>17.3</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Churu</td>
<td>313.70</td>
<td>398.33</td>
<td>27.0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Ghosnagar</td>
<td>201.40</td>
<td>140.56</td>
<td>-30.2</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Hanumangarh</td>
<td>252.50</td>
<td>229.00</td>
<td>-9.3</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Alwar</td>
<td>555.30</td>
<td>633.65</td>
<td>14.1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Dausa</td>
<td>612.10</td>
<td>863.88</td>
<td>41.1</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Jaisalmer</td>
<td>524.60</td>
<td>555.81</td>
<td>5.9</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Jodhpur</td>
<td>410.00</td>
<td>501.29</td>
<td>22.3</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Sojka</td>
<td>402.50</td>
<td>485.38</td>
<td>20.6</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Banswara</td>
<td>243.40</td>
<td>360.27</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Jhalawar</td>
<td>158.40</td>
<td>131.08</td>
<td>-17.2</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Jalore</td>
<td>394.20</td>
<td>430.93</td>
<td>9.3</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Jodhpur</td>
<td>274.50</td>
<td>367.07</td>
<td>33.7</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pali</td>
<td>446.70</td>
<td>827.77</td>
<td>85.3</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Sirsi</td>
<td>868.60</td>
<td>823.75</td>
<td>-5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Baran</td>
<td>792.30</td>
<td>1161.13</td>
<td>46.6</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Bundi</td>
<td>655.90</td>
<td>886.83</td>
<td>35.2</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ratlam</td>
<td>855.10</td>
<td>1119.42</td>
<td>30.9</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Kota</td>
<td>746.30</td>
<td>835.88</td>
<td>12.0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Banswara</td>
<td>831.80</td>
<td>1019.93</td>
<td>22.6</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Chittorgarh</td>
<td>709.70</td>
<td>1300.27</td>
<td>81.2</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Dungarpur</td>
<td>637.80</td>
<td>844.75</td>
<td>32.4</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Pratapgarh</td>
<td>845.80</td>
<td>1260.80</td>
<td>49.8</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Rajsamand</td>
<td>506.00</td>
<td>794.86</td>
<td>57.1</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Udaipur</td>
<td>591.30</td>
<td>832.54</td>
<td>40.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Av. Rajasthan</td>
<td>530.08</td>
<td>678.56</td>
<td>-28.0</td>
<td>530.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>